

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR
BHIWADI
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

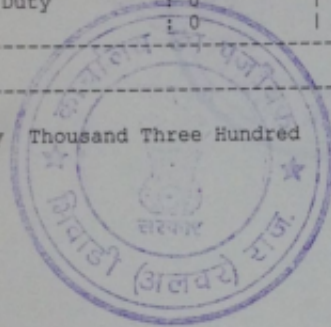
Fee Sr. No. : 2013003608 Dated : 09/05/2013
Presenter Name : KISHAN LAL Face Value : 0
Presenter Address : THADA TEH. TIJARA
Document Type : Power of Attorney When Power Given to Prom. for Const/Sale
Claimant Name : SHILPKAR HOUSING PVT. LTD. THU. AJAY JINDAL, 901 TOWER-12 ORCHID PETAL
SEC-49 GURGAON HR
Document S.No. : 2013003614 Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 50000	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Surcharge on Stamp Duty	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 50300

Amount Rs. Fifty Thousand Three Hundred only

Cashier



Sub Registrar, BHIWADI



नाम सत्यम विरोधा देवेन्द्र प्रताप अनुशा वन सं. 546/2011
 रजि. क्र. 12 दिनांक 4/1/12 मुद्रांक देवू व प्रमाणिक 1/1/12
 मुद्रांक देवू का नाम देवेन्द्र देवू व प्रमाणिक 1/1/12
 जाति देवेन्द्र देवू व प्रमाणिक 1/1/12
 जिला अलवर राजस्थान
 हस्त प्रमाण की दस्त में 1/1/12 का नाम दे देवू देवेन्द्र देवू
 जाति - देवेन्द्र देवू

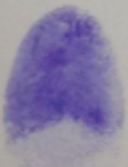
प्रोता हस्त की हस्ताक्षर मुद्रांक देवू के हस्ताक्षर



मुख्यतारनामा आम

सभी व्यक्तियों को ज्ञात जो इससे सम्बन्धित हैं।

यह मुखत्यारे नामा आज दिनांक 05/05/2103 को भिवाड़ी स्थान पर मनाकि हम किशन लाल, निहाला, सुमेर पुत्रान गणपत, सन्दीप कुमार, मनोज कुमार पुत्रान बल्ला व वेदप्रकाश पुत्रान प्रगाती लाल व मामन पुत्र रामस्वरूप जाति अहीरान निवासी ग्राम थड़ा, पोस्ट सीथल, (नगरीय क्षेत्र, भिवाड़ी) तह0 तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) के निवासी हैं, जिसे इस परिपत्र में मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण शब्द से सम्बोधित किया जायेगा। जिसका अर्थ जब तक विरोध आभास या इस परिवेश के विपरित ना लिया जाये, मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण स्वयं व उसके/उनके कानूनी वारिसान, पतिनिधि, कार्य अधिकारी प्रबन्धक और उसके/उनके अधिकृत व्यक्ति/संस्था आदि माना जायेगा, द्वारा जिसे इक परिपत्र में मुखत्यारे आम शब्द से संबोधित किया जायेगा, के पक्ष में तहरीर किया गया।



निहाला

रने0

देवेन्द्र देवू

मनोज कुमार

लगातार.....2.....

निहाला

(किशन लाल)

AB

सुमेर

उप पंजीयक, भिवाड़ी

आज दिनांक 9 माह May सन् 2013 को 14.31 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KISHAN LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANPAT
उम्र 70 वर्ष, जाति AHIR व्यवसाय FARMER
निवासी THADA TEH. TIJARA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, BHIWADI
(2013003614)
(Power of Attorney When Power Given to Prom. for Const/Sale)

रसीद नं० 2013003608 दिनांक 09/05/2013
पंजीयन शुल्क रू० 50000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 0/-
कुल योग रू० 50300/-

(2013003614) उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorney When Power Given to Prom. for Const/Sale)

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रुपये 0
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 50000 कुल रुपये 50300
जरिये रसीद संख्या 2013003608 दिनांक 09/05/2013
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 0
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013003614) उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorney When Power Given to Prom. for Const/Sale)

उप पंजीयक, भिवाड़ी

नगर विकास न्यास/डी.टी. पी. राजस्थान सराकार व अन्य वैधानिक विभागों में आवश्यक लाईसेन्स, परमिशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जमीन की किस्म बदलने आदि से सम्बन्धित कार्यवाही के लिए मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करे और कथित भूमि को विकसित करने से सम्बन्धित करने से सम्बन्धित प्रत्येक कानून के तहत कार्यवाही करे। मुखत्यारकर्ता/मुखत्याकर्तागण की तरफ से निम्न कार्य कर करे जैसे कि :-

1. नगर विकास न्यास/डी.टी.पी. राजस्थान सरकार व अन्य वैधानिक विभागों में आवश्यक लाईसेन्स, परमीशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जमीन की किस्म बदलने आदि से सम्बन्धित कार्यवाही के लिए मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करे और कथित भूमि को विकसित करने से सम्बन्धित प्रत्येक कानूनी के तहत कार्यवाही करें।
2. कथित भूमि पर कब्जा ले, उसका ब्यौरा तैयार करे, अस्थाई ऑफिस बनाए, निशानदेही करे, नक्शा बनाए, उसको पास होने के लिए नगर विकास न्यास/डी.टी.पी. राजस्थान सरकार या अन्य किसी सम्बन्धित विभाग के कार्यालय में जमा करावे, रिहायशी कालोनी, बनाने के लिए लाईसेन्स परमिशन, सहमति ले और उससे सम्बन्धित अर्हाताओं को पूरा करे।
3. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से डवलपेन्ट ईकरारनामा की शर्तों को पूरा करने के लिय रिहायसी कालोनी विकसीत करने के लिय नगर विकास न्यास/डी.टी. पी. राजस्थान सरकार व अन्य विभागों द्वारा जारी लाईसेंस और परमिशन के मुताबिक कार्य करें।
4. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के प्रतिनिधि के रूप में विकसित की जाने वाली कालोनी से सम्बन्धित विज्ञापन दें, होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए, मुखत्यार आम उचित समझें करे/करावे।
5. कथित भूमि को विकसित करने के लिए मुखत्यारेआम को हक होगा कि नक्शा बनावे, हस्ताक्षर करे, योजना बनावे, डिजाईन बनावे, हलफनामा देवे, इण्डोमिनिटि बाण्ड देवे, अण्डरटेकिंग देवे। और समय समय पर सरकारी विभागों द्वारा लाईसेंस, परमिशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नक्शा पास करवाने, कम्पलिशन सर्टीफिकेट लेने के लिए आवश्यक अर्हाताओं को पूरा करे।

लगातार.....4.....

माना है

रजि

वेधक

मनोज आर

मिटर

सुमेर



(विश्वनाथ)

AB

4

उप पंजीयक, भिवाड़ी

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-KISHAN LAL/GANPAT

Age: 70, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA



2-NIHALA/GANPAT

Age: 63, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

निहाल



3-SUMER/GANPAT

Age: 58, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

सुमेर



4-SANDEEP KUMAR/BALLA

Age: 30, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

सन्दीप



5-MANOJ KUMAR/BALLA

Age: 25, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

मनोज कुमार



6-VED PRAKASH/PRABHATI LAL

Age: 32, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

वेद प्रकाश



7-MAMAN/RAM SWAROOP

Age: 52, Caste-AHIR

Ocu.-FARMER

R/O-THADA TEH. TIJARA

ममन



(And Claimant)

1-SHILPKAR HOUSING PVT. LTD. THU. AJAY

JINDAL/PURUSHOTAM GUPTA

Age: 36, Caste-MAHAJAN

Ocu.-BUSINESS

R/O-901 TOWER-12 ORCHID PETAL SEC-49 GURGAON HR

R/O-901 TOWER-12 ORCHID PETAL SEC-49

GURGAON HR

शिल्पकार



उप संजीवक, भिवाड़ी

6. कथित भूमि को विकसित करने के लिए मुखत्यारे आम को हक होगा कि किसी एजेन्सी के साथ/ईकरानामा/ मुहायदा करें और एजेन्सी को पैमेन्ट करे।
7. नगर विकास न्यास/डी.टी.पी. राजस्थान सरकार से आवश्यक इजाजत मिलने पर डवलपमेन्ट ईकरानामा के अनुसार डवलैपर की हैसियत से आवश्यक कागजात तहरीर करे पंजीकृत करावे और मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से हर प्रकार की कार्यवाही करे।
8. नगर विकास न्यास/डी.टी.पी. राजस्थान सरकार से आवश्यक इजाजत मिलने पर इच्छुक खरीददारों से कीमत के मुताबिक पैसे वसूल करे, रसीद दे, इकरानामा करे और उससे सम्बन्धित हर प्रकार की कार्यवाही करे।
9. नगर विकास न्यास/डी.टी.पी. राजस्थान सरकार से आवश्यक इजाजत मिलने पर डवलपमेन्ट ईकरानामा के तहत अपने हिस्से के फ्लैट/ विला पर बने हुए भाग की खरीददार को अनापत्ति प्रमाण देवे।
10. कथित भूमि को विकसित करने से सम्बन्धित कोई मुकदमा, सम्मन, नोटिस लेवे और किसी न्यायालय दीवानी/फौजदारी/आपराधिक भूमि अधिग्रहण अधिकारी आदि के न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करें। कोर्ट, ट्रिब्यूनल फोरम, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के न्यायालय और वैधानिक विभागों में दावा दायर करें, दावे की कार्यवाही में उपस्थित हो।
11. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के नाम से सभी प्रकार की प्रार्थना, दावे, पेटिशन, लिखित ब्यान, क्लेम, शिकायत, अपील, रिव्यू हलफनामा दायर करें और आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करे और उपस्थित हो, ब्यान देवे, लिखित या मौखिक गवाही देवे, किसी दस्तावेज या गावाही को मान्य या अमान्य ठहरावे और उससे सम्बन्धित हर प्रकार की कार्यवाही करें।
12. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के नाम पर प्रार्थना पत्र, पेटिशन ऑब्जेक्शन, रिपलाई आदि दायर करे और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के तहत न्यायालय अथवा अधिकत विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही करें। भूमि अधिग्रहण अधिकारी/ट्रिब्यूनल/राज्य सरकार या अन्य विभाग से मुआवजा मिलने की स्थिति में चैक या ड्राफ्ट द्वारा, मुआवजा मुखत्यारकर्ता प्राप्त करे।

हस्ताक्षर

सिद्धि

वेदिका

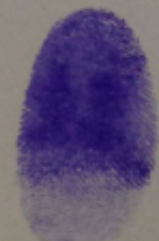
मनीष कुमार

लगातार.....5.....

सिद्धि

सुमेर

सिद्धि



(सिद्धि लाल)

उप पंजीयक, भिवाड़ी



हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

ने लेख्यपत्र Power of Attorney When Power Given to Prom for Const/Sale
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री GOVIND
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ROSHAN LAL उम्र 33 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय BUSINESS
निवासी QG-3 KONARK OASIS BHIWADI

Govind/S...

2. श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHATI LAL उम्र 45 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय FARMER
निवासी 901 TOWER-12 ORCHID PETAL SEC-49 GURGAON HR ने की है जिनके



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013003614) उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorney When Power Given to Prom for Const/Sale)

आज दिनांक 09/05/2013 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21
में पृष्ठ संख्या 115 क्रम संख्या 2013000115 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 46
के पृष्ठ संख्या 114 से 124 पर
चस्पा किया गया।

(2013003614) उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorney When Power Given to Prom for Const/Sale)

13. मुख्त्यारकर्ता/मुख्त्यारकर्तागण के नाम से कागजात माल, राजस्व विभाग, जैसे तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, फाईनैशियल कमिशनर विभाग में प्रार्थना पत्र देवे, हस्ताक्षर करे और सरकारी विभाग से सम्बन्धित दस्तावेज की सत्यपित प्रतिलिपि प्राप्त करें।
14. सरकारी खजाने, बैंक आदि में स्टाम्प खरीदने के लिए चालान जमा करावे, हस्ताक्षर करें, कोर्ट फीस जमा करावे, स्टाम्प रिफण्ड की प्रार्थना दर्ज करें, प्राप्ती रसीद दें।
15. केन्द्रीय/राज्य सरकार के न्यायालयों में कार्यवाही करनी पड़े तो न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए वकील मुकरर करें।
16. रजिस्ट्रार/तहसीलदार के कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए खजाने में स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए पैसे जमा करावे और स्टाम्प वगैरा रिफण्ड कराने की सूरत में खजाना माल से रिफण्ड प्राप्त करें।
17. रजिस्ट्रार/तहसीलदार के कार्यालय में मात्र फ्लैट/विला/दुकान मात्र फ्लैट वा तामीर मुद्रा जायदार के नीचे समानन्तर आये दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें, हस्ताक्षर करें, जरें समनल वसल करें, रसीद, देवे और पेजीलकरण से सम्बन्धित हर प्रकार की कार्यवाही करें। पंजीकृत दस्तावेज को लेने का हकदार होगा।
18. कथित भूमि और उस पर बनी तामीरात/आवासीय ग्रुप हाउसिंग का इंतकाल कागजात माल में खरीदार के नाम दर्ज व मंजूर कराने के लिए राजस्व विभाग और अधिकारियों के नाम दर्ज व मंजूर कराने के लिए विभाग और अधिकारियों के समक्ष पेश होवे और इंतकाल दर्ज व मंजूर करावे।
19. कथित भूमि और उस पर बनी तामीरात/आवासीय ग्रुप हाउसिंग से सम्बन्धित हर प्रकार के टैक्स फीस, भूमि राजस्व खर्चे और अन्य हर्जे खर्चे जमा करावे और आवश्यक हुआ तो आग, भूकम्प आदि से होने वाले नुकसान के लिए बीमा करावे, बीमें की राशि जमा करावे और अवधि बीमा पूरी होने पर बीमा की राशि प्राप्त करें।
20. कथित भूमि या उसके किसी भाग पर अवैधानिक कब्जे से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही करें और उचित कदम उठाए और इस प्रकार होने वाली दिक्कतों को दूर रखें। उन्हें मान्य होगा और ऐसा समझा जाएगा जैसे की मुख्त्यारकर्ता/मुख्त्यारकर्तागण ने स्वयं किया हो और मुख्त्यारे आम द्वारा किये गए प्रत्येक कार्य को हर प्रकार से पूर्ण करने का पाबन्ध रहेंगे।

मानादि

सो
काउन्सिलर
मनीष कुमार

लगातार.....6.....

विश्व

सुमेर

A



(किशन लाल)

उप पंजीयक, मिवाड़ी

21. फ्लैट/विला/दुकान ट्रांसफर करें और तमाम प्रोजेक्ट, उसके हिस्सों को खरीददार को ट्रांसफर करें, और सम्बंधित रिकार्ड के विभाग में इन्द्राज तबदील करावें।
22. पूरी जमीन को किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
23. हर प्रकार के फ्लैट/विला/दुकान आदि बैयनामा, हिब्बे नामा, पट्टा नामा, तर्क नामा रहन नामा, लाईसेन्स डीड, साजिस का अवार्ड इत्यादि रजिस्टर्ड करावें। उसे हर प्रकार के दस्तावेज को तहरीर करने का भी अधिकार है।
24. खरीददार/पट्टेदार को हक कब्जा देवे वा उस बारे तमाम कार्यवाही करें। हर प्रकार के दस्तावेज को पंजीकृत कराने के लिए स्टाम्प आदि खरीदे।
25. बेचान/बेची गई /पट्टे पर दी गई, लाईसेन्स पर दी गई जायदाद के बारे में तमाम कागजात से किराया, लाईसेन्स फीस, टैक्स आदि प्राप्त कर रसीद देवें। उपरोक्त किसी पट्टेदार लाईसेन्स द्वारा राशि की अदायगी होने पर तमाम रकम वसूल करें अगर राशि की वसूली ना हो तो कानून के ताबिक बवसूली कराये। मार्फत वकील नोटिस भिजवाये व जायदाद खाली कराने हेतु कार्यावाही करके कब्जा लेवें।
26. मुख्तयार को वे सब कार्य करने का अधिकार है। जिससे कि उपरोक्त आराजी पर प्रोजेक्ट लगाया, तामीर किया जाकर बेचान किया जा सकें।
27. तमाम बैंक आदि से जोन वबैरहा बारे कार्यवाही करे केवल लाईसेन्स प्राप्ति के बाद फ्लैट/विलाज/दुकान धारकों को बैंक लोन प्रदान हेतु एवं प्रोजेक्ट को किसी भी बैंक अथवा संस्था से प्रमाणित करावें वा इस जायदाद के बतौर सिक्योरिटी बैंक को दे और लोन के बाद में तमाम दस्तावेज तहरीर करें।
28. यह तय पाया है कि मुख्तयार आम को उक्त जमीन को रहन, बैय, हिब्बा, बेचान विक्रेय करने का अधिकार नहीं हैं, केवल जमीन पर निर्माण कर विक्रेय करने का अधिकार है।
29. यह तय पाया है कि मुख्तयार आम को उक्त जमीन पर किसी भी वित्तीय संस्था से किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ऋण लेने अधिकार हैं।
30. यह मुख्यतारआम उक्त भूमि पर 90ए एवं मानचित्र अनुमोदन होने के पश्चात 4 साल के लिए मान्य हैं। यह हैं कि 4 साल के बाद दोबारा रिवाईज सहमति से हो सकता है। यह मुख्यतारआम उपरौक्त अवधि से पहले अखंडनीय हैं।

लगातार

7

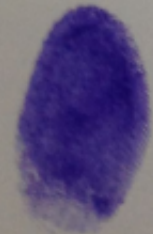
.....

पंजीकृत
मनीष कुमार

मि. ए. ए.

सुर्मा

मि. ए. ए.



(मि. ए. ए.)

५

उप पंजीयक, मिवाड़ी

/7/

[Signature]

DIRECTOR

मुखत्यारकर्तागण

मुखत्यार आम

किशन लाल :

मैसर्स शिल्पकार हाऊसिंग प्रा० लि०,
निदेशक श्री अजय जिंदल

निहाला :

[Signature]

(किशन लाल)

सुमेर :

[Signature]

सन्दीप कुमार :

[Signature]

मनोज कुमार :

[Signature]

वेदप्रकाश

मामन :

[Signature]

[Signature]

गवाह न०

1. Govind Singh S/o Lt Roshan Lal
V.P.O - The OG-3 Kanark OASIS
Khindai

गवाह न०

2. Sh. Ramesh chand S/o Babul Lal
V.P.O - Thada, Teh-Tilwara
Dist - Alwar

[Signature]

[Signature]

उप पंजीयक, मिवाड़ी